आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्ति अपील संख्या 125/2012** **विजय कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 118/14 विजय कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 6.3.2014 से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2868 दिनांक 10.9.12 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 309/सी0 दिनांक 7.2.12 के द्वारा दिनांक 10.1.2012 को जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा जन वितरण विक्रेता विजय कुमार, अनुज्ञप्ति सं0 93/2007 पंचायत–निपनिय, प्रखंड–इसुआपुर की दुकान की जॉच, जॉच दल सं0–23 द्वारा किया गया। जॉच के क में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गयी: 1. लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं। 2. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। 3. पंजी अनुमंडल में जमा रखना। 4. निरीक्षण/शिकायत पंजी का संधारण नहीं। 5. कैशमेमो नहीं देना। 6. प्रतिलीटर 17 रूपये किरासन तेल देना इत्यादि। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से कारणपृच्छा की मॉग के साथ दुकान से संबंधित सभी अन्य कागजात मूल में मॉग की गयी थी। विक्रेता के द्वारा अधिवक्ता की माध्यम से उपस्थिति के साथ कारणपृच्छा समर्पित किया है। विक्रेता के कारणपृच्छा से	

उनके उपर लगाए गए आरोप का खंडन नहीं होता बतलाया है। जॉच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में संलग्न उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट बतलाया गया कि विक्रेता के द्वारा लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं किया गया और न ही संयुक्त नमूना प्रदर्शित था। कैशमेमो भी नहीं दिया जाता था और न ही निरीक्षण/शिकायत पंजी संधारित किया जाता था। साथ ही जॉच पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि संबद्व उपभोक्ताओं को बी0पी0एल0 खाद्यान्न 20 किलो दिया जाता था तथा माह दिसम्बर 2012 में 02.00 लीटर किरासन तेल 17 रूपये की दर से दिया गया है अर्थात निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेकर कम मात्रा में खाद्यान्न/किरासन तेल का वितरण किया जाता था।

विक्रेता के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन तथा विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि जन वितरण विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देश, राशन किरासन नियमावली 2006, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, विभागीय दिशा निदेशों एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है।

बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं थी, के बारे में बतलाया गया कि अपीलार्थी जॉच की तिथि 10.1.12 के पूर्व तक लाभुकों की मुद्रित सूची अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु अपीलार्थी उपलब्ध कूपन के आधार पर स्व–हस्तलिखित लाभुकों की सूची दिवाल पर चिपकाया था, जो पुराना होने एवं धूप की वजह से अपठनीय हो गया था, जिस वजह से जॉच के द्वारा लाभुक सूची अप्रदर्शित लिख दिया गया। इसमें अपीलार्थी की कोई लापरवाही या अनियमितता नहीं है। संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था, के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी के भंडार में जो खाद्यान्न शेष बचा था, उसका नमूना अपीलार्थी अपने दुकान के बाहर रखा था, परन्तु हो सकता है जल्दबाजी की वजह से जॉच दल को नमूना दिखाई नहीं दिया हो। अनुमंडल में अभिलेख जमा रख्ना है, के बारे में विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि विभागीय आदेशानुसार अपीलार्थी अपने दुकान से संबंधित सारा कागजात दिनांक 5.1.12 को अनुमंडल कार्यालय में

जमा कर दिया था, जिसकी पावती रसीद पूर्व के कारणपृच्छा के साथ ही संलग्न कर दिया गया था। निरीक्षण/शिकायत पंजी का संधारण नही के बारे में विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी निरीक्षण/शिकायत पंजी रखा हुआ था, परन्तु जॉच दल इसकी मॉग नहीं की गयी थी, जिस कारण से अपीलार्थी शिकायत पंजी नहीं दिखा सका था। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसलनोपरान्त पाया कि अपीलार्थी के द्वारा लाभुकों की सूची प्रदर्शित कर, संयुक्त नमूना प्रदर्शित कर उपभोक्ता को कैशमेमो नहीं देना तथा किरासन तेल निर्धारित मूल्य से अधिक दाम लेकर निर्धारित मात्रा से कम देने के बिन्दु पर दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। इससे यह संदेश जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा जान–बूझकर कैशमेमो देने में उदासीनता बरती गयी है एवं वितरण पंजी में उपभोक्ताओं का फर्जी हस्ताक्षर करवाकर कालाबाजारी की गुंजाइश को उत्पन्न किया गया है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 855 दिनांक 01/8/2014

प्रतिलिपि– SDO मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।